न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
108/प्रा0पत्र/2019	23.06.2019	24.09.2019

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश आ0 बरधा जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. दुर्गालाल आ0 रामदेवा जाति मेघवाल निवासी जलोदी हाल निवासी प्रताप कॉलोनी, रेल्वे स्टेशन के पास, तालेडा जिला बून्दी

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थी:– पेरोकार सरकार
अधिवक्ता अप्रार्थीगण:– श्री कुलदीप सिंह

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 175 आर.टी.एक्ट,1955

आज यह कार्यवाही वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि श्री दुर्गालाल पुत्र श्री रामदेवा जाति मेघवाल निवासी जलोदी हाल निवासी प्रताप कॉलोनी रेल्वे स्टेशस के पास तालेडा, तह. तालेडा जिला बून्दी के ग्राम जलोदी मे खाता सं. 98 जिसका परिशिष्ट संलग्न है, का खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदार काश्तकार जाति से अनुसूचित जाति का है। जो अनुसूचित जाति का सदस्य है। नकल खाता संलग्न है। धारा 42(6)/43(2) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत उक्त खातेदार को अपनी कृषि भूमि को उक्त धारा मे वर्णित जातियो के व्यक्तियो के अलावा हस्तांतरित/रहन करने का अधिकार है। उक्त खातेदार ने अपनी कृषि भूमि को श्री जगदीश पुत्र बिरधीलाल व्यवसाय काश्तकारी जाति जाट निवासी जलोदी को धारा 42(6)/43(2) के प्रावधानो के प्रतिकूल हस्तान्तरित/रहन कर उक्त धारा के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। लिखित लेख संलग्न है। उपरोक्त खातेदार ने अपनी कृषि भूमि को धारा 43(4ए) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि पांच साल से अधिक अवधि का है और निर्धारित अवधि रहन समाप्त हो चुकी है और इस प्रकार प्रत्यार्थी सं. 1 का उक्त भूमि पर कब्जा अवैध है। और हस्तान्तरण धारा 43(5बी) के तहत अवैध है। न्यायालय तहसीलदार तालेडा मे दिनांक 1.12.2014 को अन्तर्गत धारा 183 बी आर टी एक्ट के तहत उपरोक्त भूमि ख.सं. 634 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा के सम्बन्ध मे निर्णय पारित करते हुए उपरोक्त भूमि को अन्तर्गत धारा 175 आर टी एक्त प्रकरण दर्ज करवाये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये है। (निर्णय की प्रति संलग्न है) जिसमे यह तथ्य मेरी जानकारी मे आया कि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण अपनी कृषि भूमि जिसका परिशिष्ट संलग्न है। को प्रत्यर्थी सं. 1 को धारा 42(बी)/43(2)/43(4ए) व (4बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानो के प्रतिकूल हस्तान्तरित कर दी है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी भूमिधारी है तथा उसको धारा 42(4) व 43(2) राजस्थान टीनेसी एक्ट 1955 के प्रावधानो के प्रतिकूल हस्तांतरण करने के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। अतः निवेदन है कि प्रत्यर्थी सं. 2 की कृषि भूमि खसरा सं. 634 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा (जिसका परिशिष्ट संलग्न है)

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

Scanned by CamScanner

वाके ग्राम जलोदी तहसील तालेडा से बेदखल कर कब्जा मुझ प्रार्थी को दिलाया जावे। खर्चा मुकदमा प्रदान किया जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्धारा बावजूद सूचना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया तथा अप्रर्थी सं. 2 की ओर से दिनांक 22.09.2016 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार एंव अंकन अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र चरण सं.2 लगायत 6 स्वीकार नही अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे की गयी प्रार्थना स्वीकार नही है। अप्रार्थी सं. 2 व प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मे विशेष कथन किया कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा कभी भी वादग्रस्त आराजी को बेंचान या रहन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित नही किया गया है और न ही मौके पर कोई कब्जा संभालाया हुआ है। वरन अप्रार्थी सं. 2 की भूमि पर अप्रर्थी सं. 1 जबरन व अवैधानिक रूप से कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 के मध्य वादग्रस्त आराजी के बाबत नियमित वाद सं.169/2012 भी विचाराधीन है। उक्त वाद पत्र मे माननीय न्यायालय द्धारा किसी तरह का कोई निर्णय पारित नही किया गया है। और नही अधिकारो को तय किया गया है। प्रार्थी द्धारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह अंकित किया गया है कि वाद ग्रस्त आराजी को अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 हमे पॉच वर्ष की अवधि के लिय रहन रखा गया है, किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संदर्भ में काई रहननामा प्रस्तुत नही किये से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 के द्धारा अप्रार्थी सं. 2 व उसके परिवारजनो के विरूद्ध रेगूलर वाद स्थाई निषेधाज्ञा पेश किये जाने के कारण व अप्रार्थीगण के द्धारा कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने के वाद मे कोई निर्णय पारित नही होने से तथा पक्षकारो के अधिकार तय नही होने से उक्त कार्यवाही का कोई प्रयोजन नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसमे अप्रार्थी सं. 2 के वारिसान का प्रारम्भ से ही हक निहित होने से व उनके अधिकारो पर कुठाराघात होने की पुर्ण संभावना व अपूरणनीय क्षति होने के कारण प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्धारा अपने प्रार्थना पत्र की प्रार्थना मे यह तथ्य अंकित किया गया है कि विवादित आराजी भूमि खसरा सं. 634 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम जलोदी से बेदखल कब्जा स्वयं प्रार्थी को दिलाया जावे अंकित किया हुआ है। उक्त अनुसार स्वयं प्रार्थी द्धारा वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी सं.2 का कब्जा माना गया है। प्रार्थी द्धारा उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के प्रावधानो के अनुसार अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि खसरा सं. 634 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा को सिवायचक कर राज सरकार दर्ज किये जाने की अनुशंषा अपने प्रार्थना पत्र मे की गई है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है और प्रार्थी द्धारा ग्राम जलोदी की भूमि बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी द्धारा उक्त प्रार्थना पत्र देरी से पेश किये जाने व मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना है कि प्रार्थी द्धारा प्रस्तुत कार्यवाही धारा 175 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 सारहीन होने से खारिज किये जाने की कृपा करें।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्धारा जो दस्तावेज पेश किये गये है उन्हें पर्याप्त मानते हुये बहस हेतु निवेदन किया बहस उभय पक्ष सुनी गई। अप्रार्थी सं0 2 के द्धारा जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में भूमि रहन बतलाया है जबकि रहननामा पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है। उक्त वाद विषयक भूमि के संबंध में उक्त विक्रेता एवं क्रेता द्धारा परस्पर एक दूसरे के विरूद्ध पेश किये गये वाद न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाये। दूसरी और प्रार्थी द्धारा अपनी बहस में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा कथन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जुवारा फसले बिना किसी लिखित पढ़त के देने की परम्परायें। अवैध बेचान होने पर भूमि उसी दिन से धारा 175 के तहत कार्यवाही योग्य हो जाती है। अवैध

Scanned by CamScanner

बैचान मे विक्रेता व क्रेता दोनो ही दोषी होते है। इन्होने ऐसा किया है, ऐसी स्थिति में दोनो द्वारा एक दूसरे के खिलाफ किये गये वाद भी पोषनीय नही होते है। उक्त आराजी चूंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42(4) की अवहेलना होने से पेश किये प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी खाता राज कर कब्जा राज दिलवाया जावे।

इस न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 3.10.2016 के द्वारा उक्त आराजीयात के खातेदार रामदेव आ0 गणेश जाति मेघवाल द्वारा उक्त आराजीयात को अनुसूचित जाति से भिन्न स्वर्ण जाति के व्यक्ति जगदीश आ0 बरधा जाति जाट को बैचान व कब्जा संभला कर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42/(4) का उल्लघन किया गया जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात से अप्रार्थी सं0 2 का नाम खाते से हटाया जाकर खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया गया है। उक्त निर्णय दिनांक 03.10.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी सं0 2 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में दायर अपील सं0 16/477 के निर्णय दिनांक 17.05.2019 द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2016 निरस्त किया गया है एवं प्रकरण में प्रतिपेषित कर निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में पेश किये गये प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थनापत्र के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभय पक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे विधी सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये। जो निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं0–1 :– आया कि कृषि भूमि खसरा सं0 98 के खातेदार है। उक्त भूमि को धारा 42(6)/43(2) आर.टी. एक्ट 1955 के उल्लघंन में स्वर्ण व्यक्ति प्रतिवादी सं0 1 को बैचान की है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रार्थी का है। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा इकरारनामा बैचान दिनांक 18.07.1989 पेश किया गया। उक्त इकरारनामा के खण्डन में अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया तथा अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा इकरारनामा को जवाब में स्वीकार किया है तथा यह भी पक्षकारों की स्वीकृति है कि अप्रार्थी सं. 1 अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा अप्रार्थी सं0 2 स्वर्ण–जाति का व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को कियागया प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का बैचान धारा–42 आर.टी.एक्ट का उल्लघंन किया जाना प्रार्थी के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी प्रार्थी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0–2 :– आया कि किया गया हस्तानन्तरण धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लघंन है।

प्रार्थी

तनकी सं0–3 :– आया कि प्रार्थी भूमिधारी है तथा उसको धारा 42(6)व 43(2)आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधानों की प्रतिकूल हस्तानान्तरण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। सुविधा की दृष्टिकोण से दोनो तनकीयों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

तनकी सं0 1 के विवेचन एवं विश्लेषण के दौरान यह तय किया जा चुका है कि अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को भूमि का बैचान कर धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लघंन किया है तथा धारा–175 आर.टी.एक्ट तहसीलदार को यह अधिकार प्रदान करती है कि जोही धारा 42 के उल्लघंन का संज्ञान जानकारी में आता है तो तहसीलदार धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही पेश करने के लिए कानूनन अधिकृत है। इस प्रकार उपरोक्त दोनो तनकीयां प्रार्थी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0–4 :– आया कि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा कभी–भी वादग्रस्त आराजी का बैचान या रहन अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में निष्पादित नही किया गया है और न ही मौके पर कोई कब्जा संभलाया है।

अप्रार्थी–2

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 11.02.2015 से प्रमाणित है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा है जहां तक कब्जा सम्भलाये जाने का तथ्य है तो इकरारनामा बैचान में वर्णित इबारत से प्रमाणित है कि अप्रार्थी सं0 1 को कब्जा अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा इकरारनामा बैचान के माध्यम से प्रतिफल प्राप्त करके सम्भलाया है। उक्त इकरारनामा फर्जी हो इस सम्बंध में अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में कोई आपत्ति नहीं उठायी है। ऐसी स्थिति में जर्ये इकरारनामा कब्जा सम्भलाया जाना प्रमाणित पाया जाता है। उक्त तनकी अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष–5 :–

तनकी सं0 1 लगायत 3 प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पायी जाती है तथा तनकी सं0 4 अप्रार्थी के विरूद्ध तय की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादग्रस्त अराजीयात खसरा सं0 634 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम जलोदी से अप्रार्थी सं0 2 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर खाता सरकार किये जाने का आदेश दिया जाता है, साथ ही अप्रार्थी सं0 1 का बेदखल किया जाकर कब्जा राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तालेडा नियमानुसार उक्त भूमि को जरिये निलामी जुवारा काश्त पर देकर राशि राजकोष में जमा करावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

Scanned by CamScanner